आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
20/09/2012	**सारण समाहरणालय, छपरा** **न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।** **आपूर्त्ति अपील वाद सं0 46/2012** **शशि कुमारी बनाम राज्य** **आदेश** यह अपील अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर, के द्वारा जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी आदेश ज्ञापांक 419 दिनांक 23/05/2012 के विरूद्ध दायर की गयी है। अपीलकर्त्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश न केवल विधि के प्रतिकूल है, बल्कि तथ्यों के विपरीत है। इस वाद का सारांश यह है कि दिनांक 08/05/2012 को प्रखंड विकास पदाधिकारी, दिघवारा एवं प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, दिघवारा, के द्वारा अपीलकर्त्ता की जन वितरण प्रणाली की दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के कम में कई अनियमितताएँ पायी गयी और बिक्रेता से कारणपृच्छा की गयी। उसके बाद प्रश्नगत आदेश के द्वारा बिक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी। अपीलकर्त्ता ने प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए कहा है कि निर्धारित तिथि को वितरण होने के पश्चात् दुकान बंद की गयी थी। अपने समर्थन में अपीलकर्त्ता ने प्रश्नगत तिथि को निर्गत कैशमेमो भी प्रदर्शित किया है। उसी तरह अपीलकर्त्ता का कहना है कि भंडार एवं मूल्य प्रदर्शन तालिका बगैरह के बारे में लगाए गए आरोप भी सही नहीं है और इसे अगर सही माना भी जाए तो अनुज्ञप्ति रद्द करने का निर्णय अप्रत्यानुपातिक है। अपीलकर्त्ता ने यह भी दलील दी है कि उपभोक्ता के साथ दुर्व्यव्यवहार करने के आरोप पूरी तरह से गलत है और न तो इसकी जाँच की गयी है और न इसे प्रमाणित किया गया है। अपीलकर्त्ता ने यह भी तर्क दिया कि कई ऐसे व्यक्तियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं, जो उसके प्रतिष्ठान से सम्बद्ध ही नहीं है। सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि प्रश्नगत आदेश विधि मान्य प्रकिया के तहत निर्गत किया गया है और अपीलकर्त्ता को न केवल सुना गया है, बल्कि उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार भी किया गया है। दोनों पक्षों को सुना तथा मूल अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख	

20/9/12

के अवलोकन से प्रश्नगत आदेश में निम्नांकित विसंगतियाँ पायी गयीः

1. बिक्रेता के विरूद्ध यह आरोप की उपभोक्ताओं की सूची प्रदर्शित नही की गयी थी। उस दूसरे आरोप के प्रतिकूल है, जिसमें उपभोक्ताओं की सूची में गलत नाम होने की बात कही गयी है।
2. प्रश्नगत आदेश कम-से-कम उन दो व्यक्तियों, क्रमशः राम श्रेष्ठ राय तथा संजय सहनी, के बयानों पर आधारित है, जो बिक्रेता के प्रतिष्ठान से सम्बद्ध नहीं थे।
3. उपभोक्ताओं के साथ दुर्व्यव्यवहार करने की बात प्रमाणित नहीं की गयी।

उपरोक्त परिस्थितियों में स्पष्ट है कि प्रश्नगत आदेश अंतर्विरोधों तथा गंभीर वैधानिक विसंगतियों से दुष्प्रभावित है।

अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश दिनांक 9/05/2012 को निरस्त किया जाता है तथा अपीलकर्त्ता की अनुज्ञप्ति को बहाल करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।